रेस्पोडेन्ट सं. 1 स्वयं या उनकी ओर कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत दिनांक 6.4.23 को पेश हो।

6.4.23 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 11.4.23 को पेश हो।

11.4.23 उभय पक्ष उपस्थित, पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं/अवकाश पर है/पदरिक्त है। अत: पत्रावली दिनांक 13.4.23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

13-4-23 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18.4.23 को पेश हो।

18.4.23 पत्रावली पेश हुई, वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विस्तृत निर्णय अलग से तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 16:46:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर :– 03 / 2022 अपील नामान्तरकरण

श्री बंशी आत्मज श्री हजारी गाडरी निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज0)
–– अपीलार्थी

बनाम

1– श्रीमती यशोदा देवी पत्नि रामनारायण बिड़ला, निवासी आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, माण्डल, जिला भीलवाड़ा

3– उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा

4– ग्राम पंचायत मेजा जरिये सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मेजा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
––प्रत्यर्थीगण

अपील बमामले नामान्तरण संख्या 3530, दिनांकित 16 / 09 / 2022
ग्राम पंचायत मेजा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1– श्री राकेश जैन – अधिवक्ता अपीलार्थी

2– एकपक्षीय – –– विपक्षीगण

:: आदेश ::

दिनांक :– 18-4-23

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 3530 दिनांक 16 / 09 / 2022 ग्राम पंचायत मेजा, तहसील माण्डल के विरूद्ध इस आशय की पेश की कि ग्राम मेजा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि हजारी वल्द जोधा जी गाडरी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की थी, जो उनके देहान्त उपरान्त उनके समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान यथा बंशी, नारायण, गोपाल, केशी, देऊ, मांगी, नारायणी जो उनके पुत्र पुत्रीया है तथा पत्नि रामी में निहित होकर प्रत्येक के नाम पर 1 / 8, 1 / 8 हक हिस्से से राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज होकर आराजी नम्बर 520 में से अपीलार्थी व श्रीमति केशी ने अपना–अपना 1 / 8, 1 / 8 हक–हिस्सा अर्थात् कुल 1 / 4 हक–हि[illegible] भिन्न विक्रयपत्रो के माध्यम से रामेश्वर आत्मज श्री भंवरलाल जी हेडा को विक्रय कर दी। रामेश्वर [illegible] भंवरलाल हेडा ने अपना कुलिया 1 / 4 हक हिस्सा नेमीचन्द आत्मज श्री [illegible] कर दिया। उक्त आराजी नम्बर 520 में से नारायणी एवं देऊ ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा नारायण व गोपाल के पक्ष में हकतर्क कर दिया, जिसका नामान्तरकरण [illegible] के नाम पर खोला गया। खातेदार स्वर्गीय रामी का देहान्त हो जाने से उनका हक–हिस्सा विरासत से बंशी, नारायण व गोपाल के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था। आराजी नम्बर 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि में स्वर्गीय रामी का 1 / 8 हिस्सा था, इस अनुसार लगभग 1 बीघा 07 बिस्वा भूमि बनती

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

थी, जो विरासत से बंशी, नारायण व गोपाल के नाम पर दर्ज हुई अर्थात् स्व0 रामी से बंशी, नारायण व गोपाल प्रत्येक को 09–09 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई अर्थात् उक्त आराजी नम्बर 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि में अपीलार्थी का 1/24 हक–हिस्सा दर्ज किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 01 को तत्समय उक्त आराजी नम्बर 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में दर्ज अपना सम्पूर्ण 1/24 हक–हिस्सा अर्थात् 09 बिस्वा भूमि का बिकाव दिनांक 11/08/2010 को किया था, क्योकि कानूनन कोई भी पक्ष अपने नाम पर दर्ज हक–हिस्से का ही बिकाव कर सकता है। अपीलार्थी ने अपनी 09 बिस्वा भूमि का ही बिकाव प्रत्यर्थी संख्या 01 को किया था एवं तद्नुसार ही प्रतिफल राशि प्रत्यर्थी संख्या–01 से प्राप्त की थी। प्रत्यर्थी संख्या–01 ने अपीलार्थी के मात्र साक्षर होने का नाजायज लाभ उठा विक्रयपत्र में हक–हिस्सा लिखा दिया हो तो अपीलार्थी उससे बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय श्रीमान् के आदे”ा की अनुपालना में उक्त आराजी नम्बर 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि का विभाजन कर आराजी संख्या 520/1 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि नेमीचन्द आत्मज श्री हीरालाल भण्डारी एवं आराजी संख्या 520/2 रकबा 0.08 बीघा भूमि गैमु वाणिज्यक प्रवीण कुमार आत्मज श्री कैला”ाचन्द्र के नाम पर दर्ज कर दी गयी तथा मूल आराजी नम्बर 520 का रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा कायम किया गया, जिसका अमल दरामद नामान्तरणकरण संख्या 2386 दिनांकित 29/11/2010 से किया गया। इस अनुसार मूल आराजी नम्बर 520 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा भूमि में नारायण, गोपाल 5/6, बंशी, गोपाल, नारायण 1/6 हिस्सा दर्ज किया गया, इस अनुसार अपीलार्थी के 09 बिस्वा रकबे अनुसार तत्समय उक्त भूमि में 1/18 हक हिस्सा दर्ज किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 520 में मांगी पुत्री हजारी गाडरी को विरासत से 1 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई थी। मांगी की विरासत से बंशी, नारायण व गोपाल प्रत्येक को 9–9 बिस्वा भूमि कानूनन प्राप्त होती है। मांगी ने अपने हक–हिस्से बाबत् कोई हकतर्क नारायण, गोपाल पिता हजारी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया था, किन्तु नारायण, गोपाल ने राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने मिलाभगती कर गलत तौर मांगी के बजाय उसका हिस्सा हकतर्क के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपने (नारायण, गोपाल) नाम पर दर्ज करवा लिया, जिस पर अपीलार्थी ने अपने हक–अधिकारो की घोषणा बाबत् नारायण, गोपाल आत्मज श्री हजारी जी गाडरी के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 53/2022 अनवान बंशी बनाम नारायण प्रस्तुत किया, जो न्यायालय श्रीमान् द्वारा स्वीकार फरमा दिनांक 19/04/2022 को अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित फरमा मांगी के हिस्से बाबत् उक्त आराजी नम्बर 520 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा भूमि में से नारायण, गोपाल आत्मज हजारी जी गाडरी का हिस्सा कम किया जाकर अपीलार्थी के नाम पर 1/18 हक–हिस्सा और दर्ज किये जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 3505 दिनांक 18/07/2022 खोला गया, अपीलार्थी ने मांगी से प्राप्त हक–हिस्से का कोई बिकाव प्रत्यर्थी संख्या 01 या अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11/08/2010 को तत्समय अपीलार्थी के नाम पर दर्ज कुलिया 09 बिस्वा रकबे का ही बिकाव प्रत्यर्थी संख्या 01 को किया था एवं उक्त विक्रयपत्र दिनांकित 11/08/2010 भी अपीलार्थी के नाम पर तत्समय दर्ज 09 बिस्वा रकबे तक ही विधि मान्य है। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपीलार्थी के साक्षर एवं ग्रामीण परिवेश का भोला–भाला व्यक्ति होने का नाजायज लाभ उठा धोखे से उक्त विक्रयप[illegible]धिक हिस्सा लिखवा दिया हो तो उससे अपीलार्थी बाध्यकारी नहीं है एवं उक्त [illegible] राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक–हिस्से की सीमा तक ही विधिमान्य है, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 01 [illegible]नबल एवं भू–माफियाओ की मदद से राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियो से [illegible] न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 19/04/2022 से अपीलार्थी को प्रा[illegible] 1/18 हक–हिस्से की भूमि का भी प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम पर नामान्तरकरण खोलने हेतु नामान्तरकरण भर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया एवं अधिनस्थ न्यायालय ने भी बिना कोई जांच–पड़ताल किये उक्त आलौच्य नामान्तरकरण खोल फैसल कर दिया, जो विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है व

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 07/10/2022 को प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा अपीलार्थी के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी [illegible] की, जिस नकले प्राप्त होते ही अपील अन्दर अवधि पेश है। अंत में प्रार्थना दर्ज करते हुये नामान्तरणकरण संख्या 3530 दिनांक 16/09/2022 ग्राम पंचायत मेजा को न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19/04/2022 अनुसार मांगी की विरारात से अपीलार्थी को प्राप्त 1/18 हक हिस्से तक अपास्त फरमाया जावे।

अपील मीमों के साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी सं0 1 दिनांक 07.10.2022 को वादग्रस्त भूमि पर आई और अपीलार्थी क उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी की तथा वादोक्त आराजी स्वयं के नाम पर दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर अपीलार्थी ने जमावन्दी की नकल निकलवायी तो उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 10.10.2022 को नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 11.10.2022 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई जिससे जानकारी मिलने एवं नकल प्राप्त होते ही यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। विधि विरूद्ध पारित किये गये नामान्तरकरण/निर्णय को निरस्त कराने हेतु कानूनन कोई मियाद नहीं होती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी का मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विलम्बित अवधि दिनांक 16.09.2022 से 07.10.2022 तक की अवधि कण्डोन फरमायी जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे।

इस पर अपील दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये व प्रत्यर्थीगण बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से प्रत्यर्थी संख्या 02 से 04 के विरूद्ध दिनांक 12.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा प्रथ्यर्थी संख्या 01 के खिलाफ दिनांक 28.03.2023 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रकरण एक पक्षीय होने से मूल अपील के निर्णय से पूर्व दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक होने से वकील अपीलार्थी की दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलार्थी/प्रार्थी ने दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया है। विलम्ब का जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किया है वह उचित है। प्रार्थना पत्र का खण्डन विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विलम्व अवधि को कण्डोन फरमाया जावे।

हमने वकील प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र का खण्डन विपक्षीगण के द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में न्यायहित में देरी का कारण माकुल होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर अवधि सुमार की जाती है।

वकील अपीलार्थी के अधिवक्ता की मूल अपील पर बहस सुनी गयी। बहस में वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मेजा की आराजी नम्बर 520 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्व0 हजारी पिता [illegible] की खातेदारी की थी। हजारी जी के फौत होने से उक्त आराजी हजारी के प्रथम श्रे[illegible] के [illegible]रिसान अपीलार्थी बंशी, नारायण, गोपाल, केशी, देऊ, मांगी, नारायणी पुत्र, पुत्रियां तथा पत्नि [illegible] के नाम पर 1/8–1/8 हक से दर्ज होने के पश्चात अपीलार्थी एवं बहिन केशी ने अ[illegible] कर दिया। इसके पश्चात बहिन देऊ व नारायणी ने नारायण व गोपाल के पक्ष [illegible] हक त्याग किया परन्तु बिना किसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इनके साथ मांगी के हिस्से का भी हक त्याग नारायण व गोपाल के पक्ष में दर्ज कर दिया जो गलत है। इसके पश्चात माता रामी के फौत होने पर रामी का 1/8 हिस्सा अपीलार्थी , नारायण व गोपाल के नाम पर खातेदारी से दर्ज हो गया। इसी बीच

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 16:45:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी ने अपने हिस्से में आई भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 01 को विक्रय की तब मांगी का हिस्सा उसके नाम दर्ज नहीं था फिर भी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा मांगी के हिस्से को भी अपीलार्थी के पक्ष में मानते हुए सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरकरण संख्या 3530 दिनांक 16.09.2022 को दर्ज कर दिया। इसके बाद मांगी के हिस्से को प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसके नम्बर 53/20 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2022 से अपीलार्थी को 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया । उक्त आदेश से अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/18 हक से दर्ज हो गया। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमा नामान्तरकरण संख्या 3530 को न्यायालय आदेश दिनांक 19/04/2022 अनुसार मांगी की विरासत से अपीलार्थी को प्राप्त 1/18 हक हिस्से की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

मैने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरणकरण एवं न्यायालय निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तरणकरण में अपीलार्थी को न्यायालय निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 19/04/2022 से प्राप्त 1/18 हक हिस्सा भी प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम पर गलत रूप से दर्ज हुआ है। इस कारण से 1/18 हक हिस्से की हद तक उक्त नामान्तरणकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतःएव

:: आदेश ::

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर सरहद मेजा, पटवार हल्का मेजा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 520 रकबा 08 बीघा 03 बिस्वा के संबंध में ग्राम पंचायत मेजा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरणकरण संख्या 3530 दिनांकित 16/09/2022 को 1/18 (09बिस्वा) हक हिस्से की हद तक निरस्त कर 1/18 (09बिस्वा) हक हिस्सा की भूमि पुनः अपीलार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज की जावे। इस आदेश की पालना में तहसीलदार, माण्डल को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18-5-23 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
मांडल जिला भीलवाड़ा
माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested